[illegible]

4 औद्योगिक [illegible]

5 वकालतनामा, सम्मन, तलबाना [illegible]

रिपोर्ट पेश है

19/12

S.D.O.

नोटिस जारी हो

20/12/18

20-12-18 अपील दर्ज रजि० हो रेस्पा० जरिये सम्मन तलब होकर दिनांक 15-1-19 को पेश हो।

15-1-19 वकील अपी० उपस्थित। रेस्पा० [illegible] अपील से [illegible] हाजिर। रेस्पा० की ओर से श्री दीपक [illegible] एड० का वकालतनामा पेश हुआ। वास्ते बहस दिनांक 29-1-19 को पेश हो।

30-1-19 कल बार द्वारा कार्य स्थगन होने से आज वकील अपी० की बहस सुनी गई। अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार कि० बास को प्रति प्रेषित किया गया। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

दय, उजात
यह है कि अपी
शनगढ–बास का
यह है कि
फल मिलने से र
दफा 5 म्याद
यह है कि
यह है
''''अ
.5300 है.
ईसा. 13
1173 र
).5300
1305
2500
है..
25
र

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास {अलवर}

अध्यासित द्वारा :- श्री महेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
7	31-12-18	30-1-19

उनवान

1- पुनीत जैन{एच.यू.एफ} जरिये पुनीत जैन पुत्र श्री एस.के.जैन जाति महाजन निवासी बी-1/12 बसन्त विहार नई दिल्ली

:- अपीलाण्ट

बनाम

1- ग्राम पंचायत खानपुर मेवान पं.स. किशनगढ़-बास जरिये सरपंच/सचिव

:-असल रैस्पाडेन्ट

2- ओरम प्रोजेक्ट प्रा.लि. बी1/12 बसन्त विहार नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता गोपीचन्द पुत्र श्री सहेन्द्रपाल जाति जाट निवासी ग्राम नरोत्तमपुर तहसील मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश

:- तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत खानपुर मेवान दिनांक 18-9-18 इन्तकाल नं. 470 ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर ।

उपस्थिति:- 1- श्री आशीष मालानी एडवोकेट अपीलाण्ट की ओर से ।
2- असल रैस्पा0 की ओर से कोई हाजिर नहीं ।
3- श्री दीपक मालानी एडवोकेट तर. रैस्पा. की ओर से ।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। अपील के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:- अपीलाण्ट ने यह अपील ग्राम पंचायत खानपुरमेवान के आदेश दिनांक 18-9-18 बाबत इन्तकाल सं. 470 वाके बेडाका बास से क्षुब्ध होकर पेश कर निवेदन किया कि आराजी विवादित जेर अपील इन्तकाल नं. 470 वाके बेडाका बास तहसील किशनगढ़-बास दिनांक 27-7-18 को जरिये रजि0 बयनामा बाकब्जा खरीद की थी जिस पर अपीलाण्ट वर्तमान समय में भी काबिज एवं दखील है।

बयनामा के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल सं. 470 दर्ज कर दिनांक 12-9-18 को भू.अ. निरीक्षक से मिलान कराया गया। भू.अ. निरीक्षक ने अपनी जाँच में इन्तकाल को सही होना दर्ज किया। उक्त इन्तकाल को वास्ते निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत खानपुरमेवान के समक्ष दिनांक 18-9-18 को पेश किया

उप जिला कलक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

गया। ग्राम पंचायत ने द्वेषता पूर्वक मनमाने तरीके से अपीलाण्ट का कब्जा ना होने की बेजा तरीके से टिप्पणी करते हुये इन्तकाल को खारिज करदिया गया। ग्राम पंचायत ने कब्जे की बाबत कोई जाँच नहीं गांव की पार्टी बाजी व राजनैतिक रंजिश के कारण बिना कोरम पूर्ण किये मनमाने तौर पर इन्तकाल को खारिज करदिया जो ग्राम पंचायत की कानूनी भूल है इसलिए आज्ञा ग्राम पंचायत काबिले निरस्त है।

अत: अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 18-9-18 बाबत इन्तकाल सं. 470 ग्राम बेडाका बास निरस्त फरमाया जाकर इन्तकाल अपीलाण्ट मंजूर फरमाते हुये अपील स्वीकार की जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पा को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील असल रेस्पा. की ओर से कोई हाजिर नहीं आया। अर. रेस्पा. की ओर से श्री दीपक मालानी एड. उपस्थित हुये।

वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलाण्ट ने आराजी जरिये रजि. बयनामा बाकब्जा खरीद की है जिस पर अपीलाण्ट काबिज है। सरपंच ग्राम पंचायत ने द्वेशता पूर्वक इन्तकाल पर यह अंकित करते हुये खारिज करदिया कि मौके पर कब्जा नहीं है। जबकि अपीलाण्ट वक्त खरीद से ही मौके पर काबिज है। अत: अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल अपीलाण्ट के पक्ष में स्वीकार किया जावे।

हमने वकील अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत फोटो प्रति बयनामा के अवलोकन से साबित है कि पृष्ठ सं. 5 पर बिन्दु सं. 2 पर विक्रेता द्वारा क्रेता को मौके पर कब्जा सम्भलाये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। नकल इन्तकाल के अवलोकन से साबित है कि सरंच ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि "" आज दिनांक 18-9-18 को इन्तकाल साद्न के समक्ष पेश हुआ सदन ने अवगत कराया मौके पर कब्जा ना होने कि वजह से अस्वीकार है।"" जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने निर्णय पूर्व किसी प्रकार की जाँच नहीं की ना ही अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया तथा निर्णय पर अकेले सरपंच के हस्ताक्षर है कोरम के किसी सदस्य के भी हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत का यह निर्णय विधि विरूद्ध है जो काबिले खारिज है।

अत: आदेश है कि:-

ग्राम पंचायत खानपुरमेवान का आदेश दिनांक 18-9-18 बाबत इन्तकाल सं. 470 वाके बेडाका बास निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार कि. बास को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वो मौके पर कब्जे की बाबत भली भाँति जाँच कर पुन: निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास

--2--

तहसीलदार किशनगढ़-बास को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित कराया जाकर आज दिनांक 30-1-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास {अलवर}

Scanned by CamScanner